फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

विजय शंकर बनाम आनन्द शंकर

केस संख्या 112/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रुप	विशेष विवरण
14.08.2024	पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर जयपुर) ने अपने पत्र कमांक कोर्ट/2024/3087 दिनांक 25.07.2024 से पत्रावली संख्या 27/2024 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 22/2024 व उनवानी विजय शंकर बनाम आनन्द शंकर को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । न्यायहित में उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर जयपुर) के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरणों को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर जयपुर) को मूल पत्रावलियां पुनः प्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि आदेशिका पर सील मोहर लगाई जाकर, रिकार्ड में आवश्यक इन्द्राज कर अग्रिम सुनवाई हेतु उक्त पत्रावलियां सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को सुनवाई हेतु नियत दिनांक 09.09.2024 से पूर्व भिजवाई जावें। उभय पक्ष दिनांक 09.09.2024 को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष उपस्थित हो। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner